संख्या-14/2018/डी-153/38-2-2018-2(13)डी/2017

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-104/लेखा/डी0आर0डी0ए0 प्रशा0/2017-18, दिनांक 05-02-2018 के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र संख्या-आर-17014/19/2017-18-डी0आर0डी0ए0 (एस.एल. नं0-60), दिनांक 24-01-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित कुल 10 जनपदों हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 139.69 लाख (रूपये एक करोड उन्तालिस लाख उनहत्तर हजार मात्र) तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	**जनपद का नाम**	**कोड**	**किश्त**	**धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अमरोहा (ज्योतिबा फूले नगर)	यू0पी0 005	द्वितीय	00.18
2	मेरठ	यू0पी0 052	द्वितीय	20.16
3	सिद्धार्थ नगर	यू0पी0 066	द्वितीय	00.00
4	संतकबीर नगर	यू0पी0 043	प्रथम	20.90
5	फैजाबाद	यू0पी0 025	द्वितीय	21.42
6	महामाया नगर (हाथरस)	यू0पी0 036	द्वितीय	20.90
7	मीरजापुर	यू0पी0 053	द्वितीय	23.84
8	पीलीभीत	यू0पी0 058	द्वितीय	20.90
9	कांशीराम नगर (कासगंज)	यू0पी0 071	द्वितीय	00.00
10	कुशीनगर (पड़रौना)	यू0पी0 057	द्वितीय	11.39
कुल योग				**139.69**

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-8-2017 तथा शासनादेश संख्या-12/2017बी-1-1455/दस-2017-231//017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि का आहरण यथावश्यक किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास को दी जायेगी।

(4) केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समर्पित कर दी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/ दस- 2017-231/2017, दि0 03 अगस्त, 2017 तथा शासनादेश संख्या-12/2017बी-1-1455/दस-2017-231/017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

<u>संख्या-14/2018/डी-153/38-2-2018 तददिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
6- ग्राम्य विकास अनु0-3
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in